

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 44-43/2011/20-2,

भोपाल, दिनांक 17-10-2011

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण,
म090 भोपाल

विषय - व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत कार्यरत रहे अंशकालीन शिक्षकों को सविदा शाला शिक्षक श्रेणी - 3 के पद पर नियुक्ति ।

—000—

राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के अंशकालीन शिक्षकों के द्वारा पूर्व में की गई शैक्षणिक सेवा को मद्देनजर रखते हुए इन्हें सविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता है -

- (1) व्यावसायिक शिक्षा योजना को बंद करने के तब 1998 की स्थिति में कार्यरत रहे अंशकालीन शिक्षकों को वे नियोजित शैक्षणिक योग्यता धारित करते हैं तथा वे शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंकों पर अर्हता प्राप्त कर लेंगे तो मा3-पद पर नियुक्ति की एक अवसर के लिए शामिल करेंगे हुए इन्हें सविदा शाला शिक्षक श्रेणी - 3 के पद पर बिना भारत की आयु सीमा में प्रस्तावित नियम सशोधन अनुसार सशोधन की अधिसूचना द्वारा होने पर 15 वर्ष की छूट प्रदान करके नियुक्ति दी जाए । यह नियुक्ति अप्रशासक निकायों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केन्द्र से छूट प्राप्त होने पर दी जा सकेगी ।
- (2) नियुक्ति उपरान्त सविदा शाला शिक्षक नियम में निर्धारित शिक्षण परिशिक्षण योग्यता प्राप्त करने के लिए इन्हें परिशिक्षित करने का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा ।
- (3) अंशकालीन शिक्षकों को सविदा शाला शिक्षक श्रेणी - 3 के पद पर नियुक्ति के लिए शेष शर्तें मध्यप्रदेश पंचायत/नगरीय निकाय सविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं सविदा की शर्तें) नियम 2005 के अध्याधीन रहेगी ।

निरस्त

शिक्षा
18/10/11
834
20-10-2011

AM
21/10/11

- (4) व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत कार्यरत रह अंशकालीन शिक्षकों द्वारा पूर्व सेवा को नियुक्त उपरांत नई सेवा में जोड़ने एवं जिस अवधि में उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया, उस अवधि के वेतन की मांग नहीं की जावेगी ।
- (5) अंशकालीन शिक्षकों की सविदा शाला शिक्षक श्रेणी - 3 के पद पर नियुक्ति उनकी पूर्व सेवा से किसी प्रकार संबद्ध नहीं की जायेगी ।

सविदा शाला शिक्षक श्रेणी - 3 के पद पर चयनित होने वाले व्यावसायिक शिक्षकों के अंशकालीन शिक्षकों से पदभार ग्रहण के पूर्व सविदा पारूप प्राप्त किया जावे जिसमें कोडिका 4 एवं 5 में उल्लेखित शर्त शामिल की जाय । अंशकालीन शिक्षक जो सविदा पारूप सहायित करण उन्हें सविदा शाला शिक्षक श्रेणी - 3 के पद पर नियुक्त किया जाएगा ।

मन्त्रालय के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राधा इवनाती)

(राधा इवनाती)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक एफ 44-43/2011/20-2.

मौपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यरूप अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
2. सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
6. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, बणभगा, भोपाल ।
7. गाई फाईल ।

की और सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई करें।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग